पत्रांक–आई0टी0 अनुभाग / 02 /2020–21 / वाणिज्य कर

कार्यालय, कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(आई0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 27 अप्रैल, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0 / अपील),
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक / कार्पो0 / वि0अनु0शा0 / टैक्स आडिट)
वाणिज्य कर उ0प्र0।

आप सभी अवगत हैं कि, विगत कुछ दिनों से Covid-19 के कारण असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई है। देशव्यापी Lockdown के कारण व्यापारियों को मिलने वाली ऑन लाइन सेवाओं में भी विलम्ब हो रहा है।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, महोदय के शासनादेश संख्या–264 / 2020 / सी.एक्स.–3 दिनांक 16 अप्रैल 2020 एवं कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–315 / सामान्य–का–4–2020 दिनांक 17.04.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में लम्बी Lockdown अवधि के उपरान्त 19 जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों के विभागीय कार्यालयों में राजकीय कार्य प्रारम्भ हुआ है। जिन जनपदों में COVID-19 के कारण अभी विभागीय कार्यालय नहीं खुल सके है, उन जनपदों में सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर एडजुडिकेशन विंग तथा प्रवर्तन विंग में तैनात 372 अधिकारियों के लिए "Work From Home" हेतु अपेक्षित VPN सुविधा GSTN द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

VPN से सम्बन्धित User ID तथा पासवर्ड जोनल कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई ई–मेल पर प्रेषित कर दिया गया है। VPN के Installation से सम्बन्धित User Manual भी समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) एवं ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) के ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित कर दिया गया है। VPN के Installation की प्रक्रिया निम्नवत् है:–

1. सर्वप्रथम https://vpn.gst.gov.in पर Internet Explorer अथवा Chrome से जाकर F5 SSL VPN Clinet को Download लिंक पर क्लिक कर Download किया जाएगा।
2. Download होने पर VPN Clint Automatically System में Install हो जाएगा।
3. इसके पश्चात् Download लिंक के नीचे Click here link पर क्लिक करने के पश्चात् Open F5 Network End Point Inspecter के लिंक पर क्लिक किया जाएगा।
4. इसके पश्चात् उपलब्ध स्क्रीन में "Add this site to yours trusted sites list and always allow inspection from this site" link को क्लिक कर चयनित किया जाएगा।
5. उक्त लिंक को चयनित करने पर Disclaimer Screen उपलब्ध होगी। इसमें Click here to continue बटन पर क्लिक करने पर Secure login for GSTN Network Menu में User ID तथा Password का विकल्प उपलब्ध होगा। इसमें GSTN द्वारा VPN E-mail के साथ उपलबध कराया गया User ID तथा Password अंकित किया जाएगा।
6. VPN पर Login करने के पश्चात् Boweb Portal पर अधिकारियों द्वारा अपने पूर्व से क्रियाशील Boweb User ID तथा Password से Login कर कार्य किया जा सकता है।

VPN Login में किसी प्रकार की समस्या होने पर Locations पर कार्यरत System Integrator का सहयोग ले सकते हैं तथा फिर भी समस्या का समाधान न होने पर Ticket भी generate कर सकते हैं।

उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा–133 में "Liability of Officers and certain other persons" के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किये गये हैं :–

(1) Where any person engaged in connection with the collection of statistics under section 151 or compilation or computerization thereof or if any officer of central tax having access to information specified under sub-section (1) of section 150, or if any person engaged in connection with the provision of service on the common portal or the agent of common portal, willfully discloses any information or the contents of any return furnished under this Act or rules made thereunder otherwise than in execution of his duties under the said sections or for the purposes of prosecution for an offence under this Act or under any other Act for the time being in force, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

स्पष्ट है कि VPN से सम्बन्धित समस्त Credentials confidential information हैं जो जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा संसूचित सम्बन्धित अधिकारी की ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित है। इस प्रक्रिया में डाटा की सुरक्षा का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित यूजर का होगा।

कृपया तद्नुरूप सभी अधीनस्थ अधिकारियों (Users) को अवगत कराते हुए मुख्यालय से पूर्व निर्गत परिपत्रों में उल्लिखित महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन कराने का कष्ट करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन को माननीय महोदय के अवलोकनार्थ।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि)
वाणिज्य कर, उ0प्र0।